प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –329 / 2023

अनवान : –

1. चेतराम पुत्र टीकुराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. जेसराज पुत्र टीकुराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. अर्जन राम पुत्र टीकुराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. टीकुराम पुत्र रेवन्ताराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः** 19/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 226 / 34 की कुल 7.6630 है0 भूमि में से 1 / 3 हिस्सा व रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 105 / 97 की कुल 13.4670 है0 भूमि में से 1 / 6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 112 / 109 की कुल 4.0340 है0 भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है।

उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई इसलिए उपरोक्त भूमि में वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार है।

वादीगण व प्रतिवादीगण का पारिवारिक समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 226 / 34 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 7.6630 है0 भूमि में से 1 / 3 हिस्सा तथा रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 105 / 97 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 13.4670 है0 भूमि में से 1 / 6 हिस्सा भूमि पर वादीगण ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 112 / 109 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 4.0340 है0 भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय के आदेश से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:21:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादीगण का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर जवाब इकबाल पेश किया गया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 द्वारा राजीनामा/ईकबाल मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 द्वारा इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 226/34 की कुल 7.6630 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 105/97 की कुल 13.4670 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 112/109 की कुल 4.0340 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा जवाब इकबाल पेश किया गया है की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी स0 1 को काई एतराज नही है। वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण प्रतिवादी की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 226/34 की कुल 7.6630 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा तथा रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 105/97 की कुल 13.4670 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि उपरोक्त दोनो खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कम किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 3 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 112/109 की कुल 4.0340 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:21:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखी जाती है।यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–बरवाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:21:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –329/2023

अनवान : –

1. चेतराम पुत्र टीकुराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. जेसराज पुत्र टीकुराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. अर्जन राम पुत्र टीकुराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. टीकुराम पुत्र रेवन्ताराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 329 सन 2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 226/34 की कुल 7.6630 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा तथा रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 105/97 की कुल 13.4670 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि उपरोक्त दोनो खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 3 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 112/109 की कुल 4.0340 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखी जाती है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–बरवाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:21:21 IST
Reason: SelfAttested